

*विशेष: यदि स्थानांतरण प्रमाण-पत्र इंचार्ज प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो तो अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अवश्य करायें अन्यथा यह प्रमाण-पत्र वैध/मान्य नहीं होगा।
If this T.C. is issued by the Officiating/Incharge Principal, it should be invariably countersigned by the Chairman VMC, otherwise it will not be valid.